पत्र संख्या–आई0टी0–जी0एस0टी0 डीलर मार्किंग/2019–20/2600 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 22 नवम्बर ,2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0 2166 दिंनाक 18.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जी0एस0टी0 पोर्टल पर Large श्रेणी के डीलर की मार्किंग दिनांक 05.10.2019 तक तथा शेष की मार्किंग दिनांक 20.10.2019 तक मार्किंग करने के निर्देश दिये गये थे ।

उक्त कम में करदाताओं की सजग मानिटरिंग के लिये GSTN द्वारा Boweb Portal पर डीलर्स को Large, Medium तथा Small की श्रेणी में बांटे जाने का निर्णय लिया गया है जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारियों को उनके तुलनात्मक विश्लेषण में सुविधा होगी। Categorization की प्रकिया सम्पादित करने के लिये अधिकारियों की लॉगिन पर यह Functionality उपलब्ध करा दी गयी है जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के व्यापारियों के Predominant Business sector तथा Predominant Nature of Business तथा जीएसटी के पूर्ववर्ती वर्ष का टर्नओवर एवं कर विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित है। वर्गीकरण की प्रक्रिया जीएसटी पोर्टल के Home page Boweb.internal.gst.gov.in "Services" Tab में "Tax Payers Categorization" के अन्तर्गत उपलब्ध है। अधिकारियों द्वारा यह प्रक्रिया मात्र एक बार सम्पादित करनी है। जी0एस0टी0एन0 से प्राप्त ई मेल को समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर के मेल पर भी प्रेषित किया गया है ।

खण्ड् के समस्त डीलर की मार्किंग **उन अधिकारियों द्वारा की जानी है जिनकी लॉगिन पर Registration Approval का Role Allot किया गया है।** समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने जोन के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि Boweb Portal पर अपने क्षेत्राधिकार के व्यापारियों के Predominant Business sector तथा Predominant Nature of Business की मार्किंग दिनांक 30.11.2019 तक करना सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।